

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बांय

अनुवान मोहन लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 626/2025

निर्णय दिनांक 24.12.25

मोहन लाल पुत्र जवानाराम, जाति जाट निवासी पण्डरेउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरु  
प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

**--::निर्णय::--**

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बांय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 233 के खसरा नं. 93 तादादी 1.0495 है0 रोही ग्राम पण्डरेउ टिब्बा तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र जवाना दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम मोहन लाल पुत्र जवानाराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र जवाना के स्थान पर मोहन लाल पुत्र जवानाराम किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 233 के खसरा नं. 93 तादादी 1.0495 है0 रोही ग्राम पण्डरेउ टिब्बा तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम मोहनलाल पुत्र जवाना Delete कर इसके स्थान पर मोहन लाल पुत्र जवानाराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बांय में लिखाया

जाकर सुनाया गया।



*Rajendra Kumar*  
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)